न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस अपील

संख्या– आरटीए / 128 / 2013

उनवान

1. भागू पुत्र हर लाल गुर्जर निवासी गारियाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नानू मुतबन्ना पुंत्र लक्ष्मण गुर्जर निवासी गारियाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आसीन्द, जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 151 / 2011 निर्णय डिक्री दिनांक 1.10.2012

अभिभाषक : 1. श्री आर एस जोशी , अधिवक्ता अपीलार्थीग
2. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 27.10.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 / वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136, 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गारियाखेडा पटवार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हल्का चतरपुरा तहसील आसीन्द की जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के अनुसार लक्ष्मण, श्रीराम व हरलाल के नाम की खातेदारों के मध्य संयुक्त खाते व कब्जेकाश्त की आराजीनम्बर 87, 109, 116, 124, 137, 527, 528, 556, 557, 713, 714 कुल किता 12 रकबा क्रमशः 10 बिस्वा, 09 बिस्वा, 16 बिस्वा, 15 बिस्वा, 17 बिस्वा, 14 बिस्वा, 01 बीघा 05 बिस्वा, 13 बिस्वा, 1 बीघा 02 बिस्वा, 01 बीघा 17 बिस्वा, 1 बीघा 05 बिस्वा, कुल रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा थी । उसमें सहखातेदार हरलाल (वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता) के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 13.9.1974 को आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया । उसके बाद उक्त आराजी को भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान संयुक्त खाते को अपने हक हिस्से अनुसार लक्ष्मण, श्रीराम का 2/3 हिस्सा व भागु व नानू का 1/3 हिस्से से उपरोक्त आराजियात का विभाजन हुआ तथा विभाग ने उपरोक्त आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आयी संयुक्त आराजियात के 1/3 हिस्से में आराजी नम्बर 359 रकबा 0.24 हेक्टेयर, 465 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 469 रकबा 0.17 हेक्टेयर, 828 रकबा 0.21 हेक्टेयर, 1232 रकबा 0.09 हेक्टेयर, 1233 रकबा 0.06 हेक्टेयर, 1411 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 1416 रकबा 0.09 हेक्टैयर, 406/1633 रकबा 0.08 हेक्टेयर कुल किता 09 रकबा 1.16 हेक्टेयर राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज करने के आदेश दिये थे। तथा सेटलमेण्ट के कार्यवाही के दौरान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा बराबर सह खातेदार से दर्ज करने का आदेश दिया परन्तु सेटलमेण्ट कार्यवाही बन्द होने के बाद जो सेटलमेण्ट विभाग द्वारा जारी किया उसमें उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 को अकेले खातेदर बना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया गया , जो वादी के हकों के प्रति गलत, विधिविरूद्ध होने से शून्य प्रभावी है तथा सेटलमेण्ट विभाग द्वारा उपरोक्त आराजियात का अंकन विरासत अनुसार राजस्व रेकार्ड में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम इन्द्राज करना चाहिये था मगर भू प्रबन्ध विभाग ने अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से परे जाकर वादी को नुकसान पहॅूचाने की गरज से पूरा खाता अकेले प्रतिवादी संख्या 1 भागु पुत्र हर लाल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है तथा वादी वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्से से खातेदारी हकों की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात का कुल किता 09 रकबा 1.16 हेक्टेयर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य संयुक्त कब्जेकाश्त की आराजियात थी व वर्तमान में भी संयुक्त कब्जाकाश्त चला आ रहा है । जमीन की कमी बेशी को लेकर जोने, बोतने, काटने हेतु आये दिन विवाद बना रहता है । जबकि उपरोक्त आराजियात में वादी का संयुक्त खातेदारी में 1/2 हिस्से अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी होने से विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित कर संयुक्त खातेदारी हक में राजस्व रेकार्ड मे अंकन की आज्ञा फरमायी जावे। वाद की पुश्तैनी आराजियात में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.10.2012 को जारी की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र की जानकारी नहीं हुई थी। जब वादी जबरन वादग्रस्त आराजी में दखल करने आया तब अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गारियाखेडा पटवार हल्का चतरपुरा तहसील आसीन्द की जमाबंदी संवत 2030 से 2033 के अनुसार लक्ष्मण, श्रीराम व हर लाल के नाम की खातेदारी अधिकारां के मध्य संयुक्त खाते व कब्जेकाश्त की आराजी नम्बर 87, 109, 116, 124, 137, 527, 528, 556, 557, 713, 714 कुल किता 12 कुल रकबा 11 बीघा 02 बिस्वा थी। उसमें सह खातेदार हर लाल जो कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हैं का 1/3 हक हिस्सा था। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान वादी व प्रतिवादी के हिस्से उपरोक्त आराजियात में से 1/3 हिस्से की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 359 रकबा 0.24 हे0, आराजी नम्बर 465 रकबा 0.11 हे0, आराजी नम्बर 469 रकबा 0.17 हे0, आराजी नम्बर 828 रकबा 0.21 हे0, 1232 रकबा 0.09 हे, आराजी नम्बर 1233 रकबा 0.06 ह0, 1411 रकबा 0.11 हे0, 1416 रकबा 0.09 हे0, आराजी नम्बर 406/1633 रकबा 0.08 हेक्टर कुल किता 9 रकबा 1.16 हेक्टर भूमि आई एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त आराजियात दर्ज करने के आदेश हुए परन्तु सेटलमेण्ट कार्यवाही बन्द होने के उपरान्त सेटलमेण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजियात को अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दिया । उक्त गलत इन्द्राज के कारण वादी के हक हितों पर प्रभाव पड रहा है। अतः अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल किता 9 रकबा 1.16 हेक्टर रकबा में से 1/2 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से वादग्रस्त आराजी चूंकि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड है इसलिए उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वह वादग्रस्त आराजियात को किसी अन्य को विक्रय नही करें। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण को सम्मन जारी किया। उसके बाद दिनांक 20.6.2013 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में यह अंकित किया गया कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। सम्मन बाद सर्विस प्राप्त नहीं है। मिसल इन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 1.8.2012 को पेश हो। दिनांक 1.8.2012 का भी आदेशिका में सम्मन प्राप्त नहीं होने का अंकन है। उसके बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.10.2012 नियत की गई । उक्त दिनांक 1.10.2012 को बिना प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये, बिना नोटिस की प्रोपर तामिल कराये अपीलाधीन निर्णय पारित कर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिया। आदेशिका में लिखा कि प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। जबकि प्रतिवादी को नोटिस की प्रोपर तामिल ही नहीं हुई ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/वादी अपना जवाब/साक्ष्य किस प्रकार प्रस्तुत करता । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किय हैं अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

6. प्रत्यर्थी/वादी संख्या 1 अपीलार्थी का भाई है परन्तु प्रत्यर्थी/वादी नानू अपने सगे काका लक्ष्मण जी गुर्जर के गोद चला गया था एवं लक्ष्मण जी के गोद जाने के कारण उनकी आराजियात का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है। इस तथ्य का इन्द्राज हाल जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में ग्राम गारियाखेडा की हाल आराजी नम्बर 358, 406, 466, 467, 829, 1234, 1412, 1415 कुल किता 8 रकबा 1.23 हेक्टर का खातेदार काश्तकार दर्ज हे जिसमें नानू /प्रत्यर्थी/वादी के पिता का नाम लक्ष्मण दादा प्रताप गुर्जर साकिन देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकरण रजिस्टर ग्राम गारीखेडा पटवार हल्का चतरपुरा निरीक्षक हल्का बदनोर, तहसील आसीन्द की किता 8 रकबा 1.23 हेक्टर जो कि लक्ष्मण पिता प्रताप गुर्जर के नाम दर्ज थी । लक्ष्मण की मृत्यु होने से नानू के नाम विरासत से दिनांक 16.10.96 को नामान्तरकरण खोले जाने का अंकन किया गया है। उक्त वादग्रस्त आराजी पूर्व में लक्ष्मण पिता प्रताप गुर्जर की थी। जो इन्तकाल नम्बर 42 से नानू के नाम दर्ज की गई। जब नानू/प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी लक्ष्मण जी गुर्जर के गोद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चला गया तो उसका अधिकार उसके पिता हर लाल जी की आराजी में समाप्त हो जाते है। इन सब तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने से प्रस्तुत नहीं कर सका । अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 एक ही पिता हरलाल की संतान होकर सगे भाई है। हर लाल जी की वादग्रस्त आराजियात का विरासत से इन्तकाल 1974 में खुल गया था। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 नानू का नाम हट गया । अपने पिता की आराजियात का विरासत से खाता पूर्व में 1974 में खुल चुका था । प्रत्यर्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रत्यर्थी लक्ष्मण जी गुर्जर के गोद गया । प्रत्यर्थी अपने जायन्दा पिता के जीवित रहते लक्ष्मण जी के गोद नहीं गया था। अतः अपने पिता की पैतृक आराजियात में प्रत्यर्थी का हक अधिकार समाप्त नहीं होता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने पैतृक आराजियात में प्रत्यर्थी/वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोंषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 21.9.2011 को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। दिनांक 9.11.2011 की आगामी तारीख पेशी नियत की गई। उसके बाद पेशीयॉ बदलती रही एवं दिनांक 20.6.2013 को आदेशिका में अंकित किया गया कि '' पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। सम्मन बाद सर्विस प्राप्त नहीं है। मिसल इन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 1.8.2012 को पेश हो। आगामी तारीख पेशी 1.8.2012 को भी सम्मन प्राप्त नहीं होने की आदेशिका अंकित की गई है। और आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.10.2012 नियत की गई और दिनांक 1.10.2012 को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में अपना कोई साक्ष्य/सबुत पेश नही किये जाने से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पक्षकारों के हक हितों का मूल वाद में अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली जब तलबी मे ही चल रही थी तो साक्ष्य पेश न करने का अंकन कैसे किया गया। अपीलाधीन प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में अपीलार्थी को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

11. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विस्तृत निर्णय पारित करें।

12. निर्णय आज दिनांक 27.10.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

27/10/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा